भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1176
बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940 (शक)

नौकरियों के लिए स्थानीयता नीति

1176. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्थानीय लोगों को नौकरियां प्रदान करने संबंधी कुछ राज्य सरकारों की हाल ही की नीति के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है जिसमें संबंधित राज्य में अधिवास करने वाले व्यक्तियों को नौकरी प्रदान किए जाने की बात है, जिससे समग्र श्रम बाजार के समक्ष खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो श्रम बाजार पर ऐसी नीतियों के प्रभाव के बारे में मंत्रालय को कैसे पता चलता है;
(घ) क्या इससे देश का आर्थिक विखंडन नहीं होता है और बाजार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और
(ङ) देश में नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन आयोजित नहीं किया है। नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 04.02.2019 तक, इस योजना के अंतर्गत 1.31 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.06 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभांवित किया गया है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में महिलाओं सहित भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

मेक इन इंडिया एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे निवेश को सुकर बनाने, नई खोज को बढ़ावा देने, कौशल का विकास करने और बौद्धिक सम्पदा और निर्माण संबंधी ढांचागत सुविधाओं का सर्वोत्तम निर्माण करने के लिए तैयार किया गया है। मेक इन इंडिया परियोजना में 25 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा, जिसमें रोजगार अवसरों के सृजन हेतु विमानन, निर्माण, चमड़ा, वस्त्र और पोशाक, पर्यटन और आतिथ्य, ऑटोमोबाइल, ऑटो के कलपुर्जे, खाद्य प्रसंस्करण, सड़कें और राजमार्ग, खनन, आईटी और बीपीएम आदि भी शामिल हैं।

*****